न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 04/2023

श्री ओमप्रकाश लोहार पुत्र श्री दुर्गालाल लोहार निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली जिला टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 13.03.2023

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक को अपील दिनांक 10.01.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली ने उनके पत्र क्रमांक 48 दिनाक 24.01.2023 से उक्त अपील को न्यायालय हाजा में प्रेषित की है। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1 विगत दो वर्षो में ग्राम पंचायत नासिरदा द्वारा जारी पट्टो का सूचनावधि (01.04.2021 से 22.11.2022) में रजिस्ट्रेशन हुआ है उन सभी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों की मय पट्टो की प्रमाणित छाया प्रतियां मय रजिस्ट्रेशन की दिनांक, क्षेत्रफल, ग्राम का नाम, खसरा संख्या, भूमिका प्रकार, प्राप्तकर्ता का नाम, जारी कर्ता का नाम एंव आवेदन पत्रों की मय पत्रावली प्रमाणित छाया प्रतियॉ।

2 उप तहसील केन्द्र नासिरदा के डिस्पेच रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रतियॉ

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली को पत्र क्रमांक 142 दिनांक 3.02.2023 व 272 दिनांक 20.02.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली ने उनके पत्र क्रमांक रीडर/आरटीआई/2023/07 दिनांक 17.02.2023 से जवाब प्रेषित किया है। जवाब के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित नही किया गया है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक